[श्री के० मनोहरन]

चाहिए। देश में इस समय दो वर्ग है। एक वर्ग वर्तमान व्यवस्था बनाये रखना चाहता है तथा दूसरा वर्ग इसमें परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन चाहने वाले लोग शक्ति प्राप्त करने जा रहे है। मुझे भय है कि इससे राजनीतिक स्थिरता और जनतान्त्रिक ढांचा समाप्त हो जायेगा। ये बातें मैं सभा के एवं प्रधान मंत्री के विचार के लिये रख रहा हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassemble after Lunch at fourteen of the clock

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए**

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : कल संसद सदस्यों की एक बैठक संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिये हुई थी। जब लोग परस्पर मिलते हैं अथवा विदेशियों से मिलते हैं तब देश में जो कुछ हो रहा है उसकी निन्दा करते हैं। विरोधी पक्ष को सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। वास्तव में लोकतंत्र ही एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें विरोधी पक्ष को एक भूमिका निभानी होती है। लेकिन विरोधी पक्ष पर भी जिम्मेदारी होती है कि वह उन नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा न डाले जिन्हें कि संसद ने स्वीकृति दे दी है। एक बार अगर कोई नीति संसद द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है तो वह राष्ट्रीय नीति बन जाती है। विरोधी पक्ष में इस विवेक की कमी है। कुछ व्यक्ति, कुछ राजनीतिक गुट यह स्वीकार करते हैं कि उनकी संसदीय प्रजातन्त्र में आस्था नहीं है लेकिन फिर भी वह प्रणाली को अन्दर से नष्ट करना चाहते हैं। दूसरे लोगों को लोकतंत्र पर अत्यधिक भरोसा है यद्यपि वह इसकी मुख्य धारणाओं को स्वीकार नहीं करते और प्रणाली में सुधार करने के नाम पर और उसे बदलने के नाम पर एक आन्दोलन कर रहे हैं। वह अपने वास्तविक उद्देश्यों के बारे में स्वयं निश्चित नहीं है। कई प्रकार के विचार एक साथ प्रस्तुत किये गये हैं। उदाहरण के लिए अब कहा जा रहा है कि चुनाव वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत बिना धन के लड़े जायेंगे फिर भी अपने प्रदर्शनों के लिये अपार धनराशि व्यय कर रहे हैं। यह सब धन कहां से आता है? वर्तमान आन्दोलन गलत बुनियाद पर आधारित है, इसलिए इसने गलत रुख लिया है। इस आन्दोलन में कुछ बाहर के तत्व बहुत रुचि दिखा रहे है जिससे कि सन्देह उत्पन्न हो रहा है। निर्वाचन सुधार समिति की काफी चर्चा की जाती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जनता पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा। आपने कहा है कि भारी रकमें व्यय की जा रही है। आपका विश्वास ही कौन करता है।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : जो लोग धन व्यय होता देखते है वह विश्वास करते है। समय-समय ये बातें समाचार पत्रों में छपती रहती हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : कौनसे समाचार पत्र में छपी हैं? कृपया एक भी उदाहरण दें।

श्रीमती इन्दिरा गाधी : काफी देर है। हल्ला करने के पश्चात निर्वाचन नियमों में सुधार के लिए एक समिति गठित की गई थी। मैंने उसका प्रतिवेदन नहीं देखा है। समाचार पत्रों में उसका सारांश देखा है। मुझे खेद है कि मेरे पास समाचार पत्रों की प्रति नहीं है।

अब चुनाव प्रणाली में परिवर्तन करने की बात भी कही गई है परन्तु यह सुझाव किसी ने नहीं दिया है कि वर्तमान चुनाव प्रणाली में क्या परिवर्तन किये जाये। समिति ने केवल मात्र यही कहा है कि चुनावों के लिए सर्वसम्मति से नई पद्धति तैयार की जाये। क्या हमारी संविधा सभा ने मतैक्य के आधार पर ही संविधान नहीं बनाया था? क्या वर्तमान आन्दोलनकारी उन विशिष्ट व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान है जिन्होंने संविधान की रचना की थी, क्या इन लोगों को अधिक संवैधानिक और राजनीतिक अनुभव प्राप्त है?

जो लोग वर्तमान संविधान का विरोध करने में लगे हुए हैं उनकी मुख्य शिकायत तो केवल यही है, कि वर्तमान संनिधान चल क्यों रहा है, सरकार का कार्य क्यों होता जा रहा है और वह भी क्यों सूचारु रूप से चलती जा रही है। वास्तविकता यह है कि यह लोग एक ऐसी पद्धति का समर्थन करने में लगे हुए हैं जहां बिना कारखानों में काम किये उत्पादन अधिक हो, सरकारी कर्मचारी अपने पदों से अनुपस्थित रह कर कर्मचारियों की रेलियों में भाग लेते रहें। वर्तमान सरकार के स्थान पर वह एक इस प्रकार की कार्यपालिका को स्थापित करना चाहते हैं जिसका दिमाग साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का, दिल कांग्रेस (संगठन) का, जुबान तथा फेफडे समाजवादी दल के तथा हाथ व पैर जनसंघ दल के हों।

मुझे श्री गोपालन जैसे व्यक्ति से यह बात सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ है कि धार्मिक अल्प संख्यकों का दमन किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जब उन्होंने इस बारे में कहा तो वह वस्तुत: गंभीर नहीं थे। यह ठीक है कि इस संबंध में कुछ गंभीर घटनायें घटी हैं, हम उनकी काफी निंदा करते है। हमने इन घाटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त कदम उठाये हैं। हमें इस बात का गर्व है कि केवल कुछ एक साम्प्रदायिक तत्वों के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों को हमारे लोकतंत्र में समान धार्मिक अधिकार प्राप्त है।

चर्चा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई है कि उद्योग मंत्री ने सरकारी उपक्रमों में निजी भागीदारी के मामले में जो सुझाव दिया है, उसके बारे में दोनों पत्रों में काफी मतभेद है। वास्तव में देश में संसाधनों के अभाव तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं में लोगों द्वारा भाग लेने की भावना को दृष्टिगत रखते हुए ही यह सुझाव दिया गया था। इस सन्दर्भ में हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि सरकार द्वारा उपक्रमों में पूंजीनिवेश नहीं किया जायेगा या सभी सरकारी उपक्रमों में निजी पूंजी निवेश की अनुमति दे दी जायेगी।

कुछ सरकारी उपक्रम ऐसे भी है जहां निजी सम्पत्ति लगी हुई है तथा इसका प्रमुख कारण यही है कि पहले से ही उनमें निजी सम्पत्ति लगी हुई थी जिसके आधार पर उनके गठन समझौते के अन्तर्गत उन्हें और सम्पत्ति लगाने की अनुमति दे दी गई। परन्तु इससे कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि इस मामले में अन्ततः हमें कोई नीति अपनानी ही पड़ती है, तो हम पूर्ण सतर्कता के साथ काम करेंगे। यहां मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि सरकारी उपक्रमों के क्षेत्रों को बेचने का तो कोई प्रश्न ही उठता नहीं और उन्हें बड़े बड़े व्यापार गृहों या लोगों के हाथों में जाने दिया जायेगा। अत: हमारे समक्ष स्पष्ट प्रश्न यह है कि बचत करों द्वारा की जाये या क्या लोग सीधे सरकारी क्षेत्र में पूंजीनिवश करके अपना योगदान दे सकें। ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं विपक्ष के विचार जानना चाहती हूं।

कुछ सदस्यों द्वारा यह शिकायत की गई है कि गत 25 वर्षों के दौरान सिंचाई के मामले में बहुत कम प्रगति हुई है परन्तु यह सत्य नहीं है। हमारी सिंचाई सम्भव्यता 2 करोड़ 20 लाख हेक्टेर से बढ़कर अब 4 करोड़ 40 लाख हेक्टेर हो गई हैं। इस लिये हमें खराब

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

वर्षों में ही अनाज का आपात करना पड़ा है। हमें इस संबंध में कुछ इस प्रकार से कार्य करना होगा कि हम इसका कुछ रिजर्व स्टाक बना सके जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर सहायता ली जा सके। आज देश में 75 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं तथा 165 मध्यम दर्जे की परियोजनाओं का कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। हमें आशा है कि इनमें से अधिकांश अगामी चार-पांच वर्षों में क्रियान्वित हो जायेंगी जिससे कि पर्याप्त जल सिंचाई के लिए उपलब्ध हो जायेगा। वर्तमान सिंचाई संसाधनों का उपयोग करते समय मितव्ययता बरतने के बारे में भी सरकार ने निदेश जारी कर दिये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अन्तर्राज्यीय जल-विवादों के निपटाने में तो रहे विलम्ब के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। सभा तथा सदस्यों को अच्छी तरह मालूम है कि इस प्रकार के विवादों का निर्णय राज्य आपस में मिलजुल कर ही कर सकते है। हां केन्द्र सदा ही राज्यों के विवादों को निपटाने का यथासम्भव प्रयास करता आ रहा है। जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है परन्तु इसके लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अधिकांश राज्यों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है; मेरा सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध है कि वह इस महत्वपूर्ण प्रश्न को राजनीति से अलग रखते हुए इसके प्रति लचीले रवैये को अपनायें।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी रही है परन्तु ऐसा कहना वास्तविकता से आंखे मोड़ने के समान लगता है। सत्य तो यह है कि इन सभी वर्षों में हमने किसानों को ऋण, जल, बिजली, उर्वरक तथा सुधरे बीज उपलब्ध करवाने का हरसम्भव प्रयत्न किया है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके तथा किसानों को अपनी फसल के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके।

मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जब तमिलनाडु के एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि तमिलनाडु के सूखे की ओर हमारा रवैया बहुत कठोर रहा है और यह भी कहा गया कि मैंने अपनी वहां की यात्रा के दौरान सूखे के बारे में कुछ नहीं कहा। यह आरोप बहुत विचित्र-सा लगता है। किसी भी राज्य के लिए, सूखे के नाम पर अधिकाधिक अनुदान प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये। हमारा सदा ही यह प्रयत्न रहना चाहिये कि धन का सदा उचित उपयोग हो और वह जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता रहे। राष्ट्रीय सहानुभूति आंकने का आधार धनराशि नहीं अपितु उससे होने वाली राहत से लगाया जाना चाहिये कि वह राहत कितनी प्रभावशाली सिद्ध हुई है।

हिमाचल प्रदेश के लोगों को भूकम्प का सामना करना पड़ा है। उन लोगों के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। यद्यपि वहां शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए हरसम्भव प्रयत्न किया गया। परन्तु फिर भी राहत पहुंचने से पहले, उन बेलारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह लोग हमारी सहानुभूति के पात्र है।

आवश्यक वस्तुओं में व्यापार को अपने हाथ में लेने तथा उसका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में भी एक संशोधन दिया गया है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हम आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सुधार करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहे हैं। यह ठीक है कि निजी व्यापार पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिये ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके।

राष्ट्रीयकरण के बारे में मैं पहले भी अपने विचार व्यक्त कर चुकी हूं। जब तक हमारे पास अपेक्षित संगठनात्मक तथा प्रबन्धात्मक क्षमता न हो तब तक राष्ट्रीकरण सफल नहीं हो सकता। इसके साथ ही राष्ट्रीयकरण की सफलता के लिए जनसहयोग तथा जनजागृति का होना भी आवश्यक ही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में ढील कर दी गई है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं ने संबंध मंत्री से इसके बारे में बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अभियान सूचारू रूप से चल रहा है। परन्तु इसके लिए भी जन सहयोग तथा जन सूचना का उपलब्ध होना आवश्यक ही है।

औद्योगिक संबंध विधेयक को पेश करने में हुए विलम्ब के बारे में शिकायत की गई है। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर मंत्रिमंडल की एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। फिर भी हमारा यही प्रयास है कि इसे शीघ्र पेश किया जाये।

एक माननीय सदस्य से यह सुनते हुए मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं आकस्मिक चुनाव का प्रचार कर रही हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि मैंने कभी भी आकस्मिक चुनाव की बात हीं की है। अनेक प्रश्नों के उत्तर में मैं स्पष्ट कह चुकी हूं कि आकस्मिक चुनाव नहीं होंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सरकार चुनाव आयोग को चुनाव सूचियों को शीघ्रता से संशोधित करने के लिए क्यों कह रही है? इससे लाखों मतदाता मताधिकार से वंचित रह जायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। मैं स्वयं ऐसा नहीं चाहती।

मैं श्री श्याम नन्दन मिश्र के इस सुझाव का स्वागत करती हूं कि सभी मुख्य समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। हम जानते है कि प्रशासनिक प्रणाली और सम्भवतः चुनाव प्रणाली में कुछ त्रुटियां है। ये कमियां सैद्धान्तिक नहीं है अपितु ये ऐसी हैं जो इस प्रणली के कार्य कारण के बाधक बनती है। हम इनमें सुधार करने के इच्छुक हैं। वास्तव में हम चुनावों में सुधार करने हेतु एक गोल मेज सम्मेलन बुला सकते हैं।

अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है। इस बारे में लोगों ने बड़ी बड़ी आशाएं की हैं। बेरोजगारी की समस्या हमारी सामान्य आर्थिक विपदाओं का एक भाग है इन समस्याओं का सर्वाधिक प्रभाव अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों और अल्पसंख्याकों पर पड़ता है। एक दूसरी को दोषी ठहराने की बजाय हमें समाज विरोधी रवैया बदलना चाहिए और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए।

युवक इस बात से चिंतित है कि आसूंका का प्रयोग छात्रों के लिए किया जा रहा है। मैं स्वयं ऐसा नहीं चाहती किन्तु मैं यह बता दूं कि अन्य देशों में छात्रों के उपद्रवों को किस तरह निपटाया जाता है? कोई भी देश उपद्रवों और आन्दोलनों के प्रति नम्रता नहीं बरत सकता। जब आवश्यकता महसूस होती है तो इसका प्रयोग करना ही पड़ता है।

जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक सभा के समक्ष है। कई राज्यों ने यह विधेयक पारित कर लिया है या इसके लिये कोई और व्यवस्था कर ली है। मुझे आशा है कि यह विधेयक यहां भी शीघ्र ही पारित कर लिया जायेगा।

हम भी भ्रष्टाचार समाप्त करने के इच्छुक हैं। लेकिन इसके लिए जो अभियान चल रहा है उससे भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। इसके लिए बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है और हर कदम पर ईमानदारी से कदम बढ़ाना होगा। इसके लिए प्रत्येक स्त्री–पुरुष का सहयोग अपेक्षित है।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : मारुति का क्या हुआ?

10—10 LSS (ND)/75

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मारुति में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इस बारे में जो भी प्रश्न पूछा गया है, उसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है। मारुति के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

दो दिन पहले मैंने कश्मीर के बारे में एक वक्तव्य दिया था और इस मामले पर हम शीघ्र ही सभा में चर्चा करेंगें। मैं आश्वासन देना चाहती हूं कि इस बारे में कुछ भी नहीं छिपाया गया है। सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध किए गए हैं। हम शेख साहब का हमारी और आने और राष्ट्र की मुख्य धाराएं में मिलने का स्वागत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीत में जो कटुता उत्पन्न हो गई थी वह अब दूर हो गई है । मुझे विश्वास है कि पारस्परिक विश्वास, जिससे यह समझौता सम्भव हो सका है, अटूट रहेगा।

खेद की बात है कि हमारा पड़ोसी देश हमारे आंतरिक मामलो में हस्तक्षेप कर रहा है। हम जो कुछ करें लेकिन ऐसे लगता है कि हमें धमकाया गया है। प्रधान मंत्री भूट्टो ने इसी सप्ताह सिक्किम के बारे में आलोचना की है। न तो किसी विदेशी प्रेस ने और न ही अपने देश के प्रेस ने इस और कोई ध्यान दिया है। यदि हम बलोचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त की दुखद घटनाओं और वहां के लोगों के कष्टों के बारे में कुछ कहते तो सारी दुनिया के कान खड़े हो जाते। क्योंकि इसके अंत होने की अभी कोई संभावना नहीं है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई किए जाने के बारे में भारत में दो राय नहीं हैं। यह स्वाभाविक ही है कि हमें इस पर चिन्ता हो क्योंकि पाकिस्तान के आक्रमण के प्राय हम ही शिकार होते रहे हैं। हिन्द महासागर सैनिक अड्डा बनाने तथा समूचे क्षेत्र में सैनिक गतिविधि बढ़ने से तनाव बढ़ेगा।

यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। हम देखना चाहते हैं कि इस वर्ष महिलाएं समाज में अपनी भूमिका किस ढंग से निभाती हैं तथा महिलाएं जो सारी जनसंख्या का आधा भाग हैं किस तरह समाज सुधार करती हैं।

अनुशासनहीनता कहीं भी अच्छा नहीं होती। केवल अनुशासन तथा कठिन परिश्रम से सफलता मिल सकती है। यदि हमारे नवयुवक तथा पुराने लोग रचनात्मक रवैये अपनाएं तो भारत एक नहरे युग की आशा कर सकता है।

हमें असंभव को संभव बनाने के प्रयास करना चाहिए और उसके लिए सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उसी में देश का हित है।

उपाध्यक्ष महोदय : कई संशोधन पेश किए गए हैं। जब तक कोई सदस्य किसी विशेष संशोधन को सभा में मतदान के लिये पेश नहीं करना चाहता. . .

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा संशोधन मतदान के लिये रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैं पूछ रहा हूं। कौन सा संशोधन ?

श्री पी० जी० मावलंकर : संशोधन संख्या 494 तथा 495। प्रधान मंत्री ने गुजरात का कोई उल्लेख नहीं किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : श्रीमान् मेरे संशोधन संख्या 1, 2, 4 तथा 5 सभा के समक्ष मतदान के लिए रख जायें।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : उपाध्यक्षहोदय. . . **(व्यवधान)**